सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 06

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 10 जनवरी, 2023

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित 150वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 150th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 22 December, 2022 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसंबर, 2022 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 150वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>संलग्नक</u> : यथोक्त

भवदीया,

10/1/2023

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.12.2022 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित 150वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 150वीं बैठक दिनांक 22.12.2022 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित की गई।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस 150वीं बैठक में जून, 2022 और सितम्बर, 2022 के तिमाही आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु हम सभी अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिंदी की प्रगति बढ़ाने हेतु अपना-अपना योगदान दें जिससे कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद उन्होंने उप निदेशक (रा.भा.) को मदवार कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया। तत्पश्चात, समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपनिदेशक (रा.भा.) ने मदवार कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि दिनांक 02.09.2022 को आयोजित की गई पिछली बैठक के कार्यवृत्त 13.09.2022 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

इसके बाद सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मदवार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध ‘क’ पर संलग्न है।
उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैः-
1. सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों के रिवाइवल और सृजन के बारे में चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि अनुवादकों की भर्ती प्रकिया पूरी होने तक इन कार्यालयों में कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा सकती है। निदेशक, स्थापना-7 ने बताया कि इस संबंध में दो स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है- एक ओर इन पदों के सृजन/रिवाइवल के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फाइल भेजी जा चुकी है जिसका अनुवर्तन (फालोअप) किया जा रहा है, दूसरी ओर इन पदों के स्थान पर एक वर्ष के

लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं जिसकी प्रतिक्रिया में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए शीघ्र ही एक समिति बनाई जाएगी ताकि इन कंसल्टेंटों की शीघ्र नियुक्ति की जा सके। अध्यक्ष महोदय ने स्थापना-7 अनुभाग को इस कार्य को शीघ्र निष्पादित करने हेतु निदेश दिया और साथ ही यह भी निदेश दिया कि इन पदों के सृजन/रिवाइवल हेतु पार्ट फाइल से कार्रवाई शुरू की जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग)

2. केंद्रीय जल आयोग(मुख्यालय) में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वॉइस टूल के उपयोग के बारे में पिछली बैठक में यह निदेश दिया गया था कि सहायक निदेशक/सहायक निदेशक-2 स्तर तक के अधिकारियों को वॉइस टूल उपलब्ध कराया जाए ताकि वे सभी अपना काम आसानी से हिंदी में कर सकें और साथ ही,हिन्दी अनुभाग के सभी कंप्यूटरों में विंडो 10 अपलोड करने तथा कंप्यूटरों के रैम को भी 6 जीबी तक बढ़ाने के कार्य को भी निष्पादित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, पीसीपी को इस बारे में एसएमडी से फॉलो करने हेतु निदेश दिया।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय एवं पीसीपी निदेशालय)

3. सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि पिछली बैठक में आयोग में आंतरिक निरीक्षण अर्थात् आयोग के अनुभागों के निरीक्षण के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि इस काम को लगातार जारी रखा जाए और जहां पर कमियां हैं उनमें सुधार लाने हेतु सुझाव दिए जाएं। इस बीच हिंदी अनुभाग द्वारा 04 अनुभागों का निरीक्षण किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने संसद सत्र के उपरांत पुन: इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु निदेश दिया।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

4. सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उन क्षेत्रीय कार्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर राजभाषायी निरीक्षण किया जाए जहां राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है। इस संबंध में अभी तक इस वित्तीय वर्ष के दौरान 20 क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया जा चुका है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि संसद सत्र के उपरांत इस कार्य को गति दी जाए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

5. सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक में हमें तकनीकी संगोष्ठी आयोजित करने का निदेश दिया था जिसका अनुपालन करते हुए दिनांक 11.11.2022 को कोच्चि में हिंदी में तृतीय तकनीकी संगोष्ठी का सफल आयोजन किया

गया है जिसमें आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करने का सुझाव दिया।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

6. राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यालय के कार्यालय में महान विद्वानों के द्वारा राजभाषा हिंदी के संबंध में दिए गए विचारों या उक्तियों को उनकी तस्वीर के साथ कार्यालय में लगवाए जाने के संबंध में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु पीसीपी निदेशालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा के दौरान, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) ने सुझाव दिया कि इसके स्थान पर इन्हें डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर तस्वीर और कोटेशन सहित डिस्प्ले किया जाए जो स्क्रीन पर 5 से 10 मिनट के अंतराल पर बदलता रहे। अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, पीसीपी को एसएमडी निदेशालय के साथ मिलकर इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया।

(कार्रवाईः पीसीपी निदेशालय एवं एसएमडी निदेशालय)

7. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में धारा 3(3) एवं नियम 5 के अनुपालन तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं हिंदी कार्यशाला के आयोजन के संबंध में किए जाने वाले कार्यों में व्यापक सुधार हुआ है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने इस प्रगति को बनाए रखने तथा इसमें यथासंभव और अधिक सुधार करने का सुझाव दिया तथा निदेश दिया कि जिन कार्यालयों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया गया है उन्हें मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) की ओर से पत्र भेजा जाए और इसकी **पुनरावृत्ति होने पर चूक करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय जल आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी बैठक में एसएमडी निदेशालय द्वारा ऑनलाइन जोड़ा जाए ताकि राजभाषा का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।**

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित 150वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	जे.चन्द्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	पी.एम स्कॉट, सदस्य, नदी प्रबंध स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
3.	नवीन कुमार, सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
4.	बी.आर.के.पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ.	सदस्य
5.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	आनंद चन्द्र मल्लिक, निदेशक (स्थापना-3), के.ज.आ.	सदस्य
7.	शिशिर कुमार नंदा, निदेशक (स्थापना-1), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
8.	अनंत गुप्ता, निदेशक, पीसीपी/प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
9.	सुदीप्तो मंडल, उप निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
10.	वि. कुमारी, उप निदेशक, नदी प्रबंध सम.निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभिकल्प एवं अनु.सम.निदे., के.ज.आ.	सदस्य
12.	धीरज सिंघल, उप निदेशक, जल संसाधन एवं परियोजना निदे., के.ज.आ.	सदस्य
13.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी ...